राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, पाली

क्रमांक:रसद / उमूदु / 2022 / 285 दिनांक: 21.06.2022

—: विज्ञप्ति :—

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2022—23 की अनुपालना एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड3(1) के तहत उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देशएफ.17(16)खा.वि. / विधि / 08 दिनांक 17.03.2016 एवं पत्रांक एफ.17(5)खा.वि. / न्याय / महि. आर. / 2019 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में जिले में निम्नानुसार नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है।

—: जिले में तहसीलवार रिक्त उचित मूल्य दुकानों का ग्राम / वार्डवार विवरण :—

तहसील—पाली

क्र. सं.	क्षैत्र	नवसृजित उचित मूल्य दुकान	वितरण स्थल	आरक्षण की स्थिति
1	नगर परिषद, पाली	वार्ड संख्या 24 (पुराना)	खरादियों का मोहल्ला	—
2		वार्ड संख्या 40 (पुराना)	आनन्द नगर	—
3		वार्ड संख्या 8 (पुराना)	शहीद भगतसिंह नगर	—
4		वार्ड संख्या 19 (पुराना)	चारणियावास	महिला आरक्षित
5		वार्ड संख्या 1 (पुराना)	चिमनपुरा	—
6		वार्ड संख्या 46 (पुराना)	भालेलाव रोड़ / सरदारसमंद रोड़	—
7	पंचायत समिति, पाली	सोनाई मांझी	सोनाई मांझी	—
8		डेण्डा	डेण्डा	
9		हेमावास	रामासिया	—
10		डिंगाई	जैतपुर	—

तहसील—रोहट

क्र. सं.	क्षैत्र	नवसृजित उचित मूल्य दुकान	वितरण स्थल	आरक्षण की स्थिति
11	पंचायत समिति, रोहट	वायद	वायद	महिला आरक्षित
12		मांडावास	मांडावास	—
13		मांडावास II	मांडावास	—
14		सिणगारी	सिणगारी	—

तहसील—सोजत

क्र. सं.	क्षैत्र	नवसृजित उचित मूल्य दुकान	वितरण स्थल	आरक्षण की स्थिति
15	नगर पालिका सोजत	वार्ड संख्या 20 एवं 25 (पुराना)	तालाब के पास	
16	पंचायत समिति सोजत	शिवपुरा II	शिवपुरा	—
17		चौपड़ा II	चौपड़ा	महिला आरक्षित
18		रेपड़ावास	हापद	—
19		सियाट	पांचुडा खुर्द	महिला आरक्षित

तहसील–मारवाड जंक्शन

क्र. सं.	क्षैत्र	नवसृजित उचित मूल्य दुकान	वितरण स्थल	आरक्षण की स्थिति
20	पंचायत समिति मारवाड जंक्शन	चिरपटिया	चिरपटिया	महिला आरक्षित
21		बासनी	बासनी	महिला आरक्षित
22		फुलाद	फुलाद	महिला आरक्षित

तहसील–रायपुर

क्र. सं.	क्षैत्र	नवसृजित उचित मूल्य दुकान	वितरण स्थल	आरक्षण की स्थिति
23	पंचायत समिति रायपुर	सेन्दड़ा	केशरपुरा	–
24		बिराटिया खुर्द	झीतड़ा	–
25		बुटीवास	रामावास	महिला आरक्षित
26		चांग ।।।	चांग	महिला आरक्षित
27		कुशालपुरा ।।।	कुशालपुरा	महिला आरक्षित

तहसील–जैतारण

क्र. सं.	क्षैत्र	नवसृजित उचित मूल्य दुकान	वितरण स्थल	आरक्षण की स्थिति
28	नगर पालिका, जैतारण	वार्ड संख्या 16 (पुराना)	वार्ड संख्या 16 (पुराना)	–
29		वार्ड संख्या 14 (पुराना)	वार्ड संख्या 14 (पुराना)	–
30		देवरिया	देवरिया	–
31		टुंकड़ा	टुंकड़ा	महिला आरक्षित
32		सांगावास	सांगावास	महिला आरक्षित
33		बेड़ कलां	बेड़ कलां	–
34		पाटवा	पाटवा	–
35		आसरलाई	आसरलाई	–

तहसील–बाली

क्र. सं.	क्षैत्र	नवसृजित उचित मूल्य दुकान	वितरण स्थल	आरक्षण की स्थिति
36	पंचायत समिति, बाली	सेवाड़ी	सेवाड़ी	–
37		बीजापुर	बीजापुर	–
38		कोयलवाव	कोयलवाव	–
39		भन्दर	भारला	–
40		भीमाणा	भीमाणा	महिला आरक्षित
41		उपला भीमाणा	भीमाणा	–
42		बीजापुर ।।	बीजापुर ।।	–
43		बेड़ा	बेड़ा	–

तहसील–सुमेरपुर

क्र. सं.	क्षैत्र	नवसृजित उचित मूल्य दुकान	वितरण स्थल	आरक्षण की स्थिति
44	पंचायत समिति सुमेरपुर	नेतरा	नेतरा	–
45		भारून्दा	भारून्दा	महिला आरक्षित
46		पालड़ी	पालड़ी	महिला आरक्षित
47		पावा	पावा	–

तहसील–रानी

क्र. सं.	क्षैत्र	नवसृजित उचित मूल्य दुकान	वितरण स्थल	आरक्षण की स्थिति
48	पंचायत समिति रानी	खौड़	खौड़	–

तहसील–देसूरी

क्र. सं.	क्षैत्र	नवसृजित उचित मूल्य दुकान	वितरण स्थल	आरक्षण की स्थिति
49	पंचायत समिति	नारलाई	नारलाई	–
50	देसूरी	कोट सोलंकियान	कोट सोलंकियान	–

आवेदक की योग्यताएं एवं शर्तें :–

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जो विभागीय पोर्टल food.raj.nic.inपर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिला रसद कार्यालय पाली के कमरा नम्बर 2 से प्राप्त किया जा सकेगा। जिस पर आवेदनकर्ता का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लगा होगा तथा एक फोटो अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।आवेदन पत्र जिला रसद कार्यालय, पाली में ही जमा होगे।एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रूपये निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय, पाली में आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का डी.डी. अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के साथ जमा कराये जा सकेगे, जो अप्रतिदेय और अहस्तांतरणीय होगा।

1. शहरी क्षैत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में ***आवेदक वर्ष 2013 में जारी डिजिटल राशनकार्ड*** के अनुसार उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षैत्र में स्थित वार्डों में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चहिए। ग्रामीण क्षैत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है।
2. सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवीं की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए।)
3. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम से हायर सैकण्डरी (12 वीं) उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि चयनित आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हुआ हो तो आवेदक यह शपथ पत्र देगा कि वो चयनित होने के 6 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद ही प्राधिकार पत्र जारी किया का सकेगा। आवेदक सहकारी समितियां/स्वयं सहायता समूह होने पर संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षण संबंधी शिथिलता विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2020 के तहत प्रदान की जावेगी।
4. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
5. आवेदक स्वयं अथवा आवेदक की पत्नि/पति निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं होने चाहिए।
6. आवेदक का चाल–चलन सही होना चाहिए तथा आवेदक दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।
7. आवेदक गत 10 वर्षों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डित हुआ नहीं होना चाहिए।
8. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित 2 से अधिक सन्तान नहीं होनी चाहिए।

पर स्थित हो, तो उपभोक्ता आसानी से राशन सामग्री लेने हेतु पंहुच सके। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिए। प्रस्तावित दुकान 30 फीट सड़क पर स्थित होकर न्यूनतम 200 वर्गफीट की होनी चाहिए तथा दुकान का द्वार/शटर न्यूनतम 10 x 10 फीट का होना आवश्यक है।

10. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के सबंध में जारी न्यूनतम 100000/– रूपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। (हैसियत प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा।
11. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरूद्ध गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर गत 10 वर्षों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदकों को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी तथा आवेदक किसी भी न्यायालय से सजायाफ्ता अथवा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं होना चाहिए।
12. आवेदक को 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणितशुदा चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
13. आवेदक दिवालिया नहीं हो, इस संबंध में आवेदक को स्वप्रमाणित सादे पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. चयनित आवेदक उचित मूल्य दुकान का संचालन स्वयं करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति को सबलेट नहीं करेगा।
15. आवेदक के परिवार में से किसी सदस्य के नाम उचित मूल्य दुकान नहीं होनी चाहिए।
16. **आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 29 जुलाई 2022 नियत है।**

चयन की प्राथमिकता :–

प्रथम वरीयता : (1) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस् (वृहत्तर क्षैत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/ दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो। (2) महिला स्वयं सहायता समूह, जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, रजिस्ट्रार कॉ–ऑपरेटिव से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो तथा न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव हो (3) निगमित निकाय/ग्राम पंचायत।

- यदि आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह है, तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उप निदेशक/ सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग या रजिस्ट्रार कॉ–ऑपरेटिव से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के सबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय उपनिदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।
- यदि आवेदक सहकारी समितियां है, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो, तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय उपनिदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत :—(प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर) (1) निःशक्त जन (2) महिलाएं (अ) शहीद की विधवा (वीरांगना), (ब) विधवा, (स) परित्यक्ता, (3) भूतपूर्व सैनिक (4) अन्य पात्र बेरोजगार

- निःशक्त जन को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा परित्यक्ता को संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र, बेरोजगार को एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेंज का पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी आवश्यक होगी।
- द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जायेगी। रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं विभागीय दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 विभागीय वेबसाईट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय, पाली में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

आवेदन पत्र अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालय समय में **दिनांक 29.07.2022 को सायं 6:00 बजे तक जिला रसद कार्यालय के कमरा नंबर 2 में** जमा करवा सकते है। नियत तिथि पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट :—उक्त विज्ञप्ति में दुकानो का आवंटन/नियुक्ति एवं संशोधन का अंतिम निर्णय जिला कलक्टर (रसद) का होगा एवं उचित मूल्य दुकानों की संख्या में कमी/वृद्धि/निरस्त या स्थान परिवर्तन या संशोधन हेतु जिला कलक्टर (रसद) सक्षम होगे।

सुमित्रा पारीक (RAS)
जिला रसद अधिकारी
पाली
जिला रसद अधिकारी, पाली

कमांक/रसद/प्राधिकार–पत्र/2022/285-96
दिनांक 24.06.2022

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान शासन सचिव महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज. जयपुर
2. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज. जयपुर
3. माननीय सांसद महोदय, लोकसभा क्षेत्र, पाली/राजसमंद
4. श्रीमान जिला प्रमुख महोदय, पाली
5. श्रीमान विधायक, विधान सभा क्षेत्र...
6. ए.सी.पी. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने बाबत्
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार ....
8. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पाली
9. जिला जनसम्पर्क अधिकारी पाली को समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार हेतु।
10. प्रवर्तन अधिकारी, / प्रवर्तन निरीक्षक...
11. प्रधान पंचायत समिति...
12. अध्यक्ष नगरपालिका /पार्षद/सरपंच.....................
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त) नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
14. संरपच ग्राम पंचायत............................तहसील............जिला पाली
15. जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
16. जिला रसद कार्यालय, पाली पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिला रसद अधिकारी
पाली
सुमित्रा पारीक (RAS)
जिला रसद अधिकारी, पाली

आवेदन पत्र का मूल्य – रूपये 100/–

प्रारूप "क"

आवेदक का पासपोर्ट साइज हस्ताक्षरयुक्त फोटो

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमप) आदेश 1976 (खण्ड 3 (3) देखिये)

प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन

रिक्त दुकान के केन्द्र का विवरण जिसकी नियुक्ति हेतु आवेदन किया हैं ....

ग्राम पंचायत .... विज्ञप्ति में अंकित वितरण केन्द्र ....

नगर पालिका/नगर परिशद्/नगर निगम (वार्ड नम्बर) .... तहसील .... जिला ....

1. आवेदक का नाम– .... पिता/पति का नाम ....
   जन्म तिथि– ..../........./......... उम्र .... आवेदक की जाति ....
   जाति का वर्ग .... सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेश पिछडा वर्ग
2. आवेदक का पता (निवास)
   मकान संख्या .... मौहल्ला/कॉलोनी .... ग्राम/कस्बा .... वार्ड संख्या..........
   फोन .... ई मेल पता ....
3. आवेदक का प्रकार– स्वत्वधारी/सहकारी समिति/सहकारी भण्डार/महिला स्वयं सहायता समूह/लेम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहूद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन समिति/कोई अन्य संस्था या निगमित निकाय ....
4. उचित मूल्य दुकान के चयन हेतु वरीयता की प्राथमिकता– प्रथम/द्वितीय श्रेणी ....
5. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं कम्प्यूटर शिक्षा में जानकारी का विवरण –
   ....
6. आवेदित उचित मूल्य दुकान हेतु प्रस्तावित दुकान का विवरण –
   प्रस्तावित दुकान के स्वामीत्व का प्रकार – स्वयं की/किराये की
   प्रस्तावित दुकान का पता – ....
   मकान संख्या .... मौहल्ला/कॉलोनी .... तहसील .... ग्राम/कस्बा..........वार्ड संख्या..........
   ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम ....
   दुकान का माप–लम्बाई..........फिट, चौडाई..........फिट, क्षेत्रफल .... वर्ग फिट
   दुकान के सामने सडक की चौडाई ....फिट
7. वित्तीय स्त्रोत के सम्बन्ध में कितनी राशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ? ....
   यदि आवेदक उचित मूल्य दुकान के चयन हेतु वरीयता के प्राथमिकता क्रम प्रथम के अन्तर्गत है तो निम्न बिन्दुओं की पूर्ति की जानी है (वरियता के प्राथमिकता क्रम द्वितीय के आवेदकों पर लागू नही)
8. सहकारी समिति/सहकारी भण्डार/महिला स्वंय सहायता समूह/लेम्पर (वृहतर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति) /दुग्ध उत्पादन समिति/कोई अन्य संस्था या निगमित निकाय है, तो नाम .... गठन का रजिस्ट्रेशन नम्बर .... माह एवं वर्ष ....
9. संस्था या निगमित निकाय है, तो अध्यक्ष/प्रबन्धक/सचिव का नाम –

अध्यक्ष का नाम	सचिव का नाम	प्रबन्धक का नाम ....
पति/पिता का नाम..........	पति/पिता का नाम..........	पति/पिता का नाम..........
शिक्षा व कम्प्युटर का ज्ञान	शिक्षा व कम्प्युटर का ज्ञान	शिक्षा व कम्प्युटर का ज्ञान ....
निवास	निवास	निवास ....
दूरभाष/मोबाईल नं.	दूरभाष/मोबाईल नं.	दूरभाष/मोबाईल नं. ....

10. क्या संस्था या निगमित निकाय के द्वारा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु प्रस्ताव पत्र जारी है ....
11. उक्त संस्था या निगमित निकाय द्वारा लगाई गई पूंजी का विवरण
    अंश पूंजी .... कार्यशील पूंजी ....
12. क्या उक्त संस्था या निगमित निकाय के द्वारा पहले से ही खाद्यानों एवं अन्य आवश्यक पदार्थो का आदेश 1976 के अन्तर्गत वितरण कार्य किया जा रहा है ? यदि हां तो किस स्थान पर ? ....
13. क्या ऊपर वर्णित परिसरों में आवेदक/संस्था खाद्य एवं नगारिक रसद विभाग द्वारा जारी की गई कोई अन्य अनुज्ञप्ति धारित करता हैं? यदि ऐसा है, तो उसका पूर्ण विवरण दें ....

आवेदक के हस्ताक्षर

उचित मूल्य दुकानों हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद

आवेदन प्राप्ति क्रमांक .... दिनांक ....

नाम .... पिता/पति का नाम .... पता ....
.. दुकान/ संस्था/वितरण केन्द्र का नाम व वार्ड संख्या .... हेतु आवेदन पत्र मय संलग्न प्रमाण पत्रों के प्राप्त किया। संलग्न पत्रों की संख्या .... हैं।

हस्ताक्षर प्राप्त कर्ता

घोषणा

(जो लागू नही हो वह काट दें)

1. यह है कि मैने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनिमयन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु प्रारूप "क" में आवेदन किया है जिसमें समस्त भरे गये बिन्दु सत्य हैं। मैने/हमने उक्त आदेश, 1976 के उपबन्धों को सावधानीपूर्वक पढ लिया है और मै/हम उक्त आदेश के उपबन्धों को तथा समय-समय पर तदधीन जारी दिशा निर्देशों की पालना करूंगा/करेंगे।
2. यह है कि मै/संस्था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दण्डित नही किया गया हूँ।
3. यह है कि मेरा/संस्था का पूर्व में उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र गम्भीर अनियमितताओं के कारण निरस्त नही हुआ हैं।
4. यह है कि परिवार के किसी सदस्य यथा माता, पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता-पिता पर आश्रित बालिग पुत्र के नाम पूर्व से कोई दुकान नही हैं।
5. यह है कि मेरे पास राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण है/नही हैं, किन्तु मै यह प्रशिक्षण चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्राप्त कर लूंगा/लूंगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।
6. यह है कि उचित मूल्य दुकान हेतु प्रस्तावित दुकान "अन्नपूर्णा भण्डार" हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है/नही करती हैं। आवेदित दुकान हेतु मेरा/हमारा चयन हो जायेगा तो मै/हम अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को छः माह में पूर्ण कर लेंगे/लूंगा/लूंगी। मुझे/हमें यह भी ज्ञात है कि यदि वचन-पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर निर्धारित अवधि में मापदण्ड पूर्ण नही किये जाते है, तो दुकान का आंवटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
7. यह है कि मेरा दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि उचित मूल्य दुकान आंवटन होने के बाद यदि दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् मेरी दो से अधिक संतान होगी तो ऐसा होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त हो जायेगा।
8. यह है कि मै स्वंय अथवा मेरी पत्नी/मेरे पति वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नही हैं।
9. यह है कि मै बालिग एवं स्वस्थ्य चित हूँ तथा दिवालिया घोषित नही हुआ हूँ या संस्था दिवालिया घोषित नही हैं।
10. यह है कि मुझे/संस्था को विधिक रूप से अयोग्य घोशित नही किया गया हैं।
11. यह है कि मेरे द्वारा प्राधिकार पत्र हेतु प्रस्तुत संलग्न आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्य एंव प्रस्तुत सूचनाये/दस्तावेज सही है और कोई भी तथ्य छुपाया नही गया हैं।
12. यह है कि उचित मूल्य दुकान का आवंटन होने पर मै/संस्था दुकान का संचालन स्वंय करूँगा/करूंगी।
13. यह है कि मैरे घर में कार्यशील शौचालय है।
14. यह मेरी जानकारी मै हे कि गलत सूचनायें देनो एवं ऐसा साबित होना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दण्डनीय अपराध हैं।

मै/हम घोषणा करते है कि मेरी/हमारी सर्वोतम जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विशिष्टियाँ सही है और इसमे कुछ भी छिपाया नही गया हैं। मेरे/हमारे द्वारा दी गयी सूचनायें गलत पाये जाने पर आवेदन/उचित मूल्य दुकान का आंवटन रद्द करने का अधिकर सक्षम अधिकारी को होगा।

संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठों की कुल संख्या ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक संस्था/निगमित निकाय होने पर अध्यक्ष/सचिव/प्रंबधक के हस्ताक्षर भी मय सील अंकित किये जाने हैं।

अध्यक्ष **सचिव** **प्रबन्धक**

प्रेषित,

....

....

....

———————✂———————✂———————✂———————✂———————

(इस लाईन के नीचे नही लिखे)

आवेदक की योग्यताएं एवं शर्ते

आवेदक पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्ता का रंगीन पासपोर्ट साईज छाया चित्र तथा एक छाया चित्र अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल सम्बन्धित जिला रसद कार्यालय से जारी किये जायेंगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटेरी स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रूपये निर्धारित हैं। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

1. शहरी क्षेत्र उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होगा, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है, अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वॉर्डो में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहीए। ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित हैं। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र में निवासी होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र स्वरूप राशन कार्ड/वोटर लिस्ट/मूल निवास/निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा)
2. सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक होना चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवी की अंक तालिका/प्रमाण पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या पासपोर्ट /मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड/पेन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)
3. शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की योग्यता नही रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उतीर्ण आवेदको के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जावेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नही है तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ–पत्र देगा कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जायेगा। आवेदक समितियां/समूह निकाय होन पर सम्बन्धित अध्यक्ष/सचिव/प्रबन्धक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
4. जिले में जिन उचित मूल्य दुकानों पर स्नातक एवं अन्य उच्चतर योग्यताधारी पात्र आवेदकों ने आवेदन किया हुआ है, उनकों निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उचित मूल्य दुकान आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
5. आवंटन प्रक्रिया के दौरान जिन उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु स्नातक पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सीनियर सैकण्डरी योग्यताधारियों के आवेदन पत्र भी स्वीकार किये जायेंगे।
6. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के सम्बन्ध में स्वः सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
7. आवेदक स्वंय अथवा आवेदक की पत्नी/पति निर्वाचित जन प्रतिनिधि नही होना चाहिए।
8. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई सन्तान सहित 02 से अधिक संतान नही होनी चाहिए। दिनांक 01.01.2015 के पश्चात् 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में व्यक्ति आवेदन का पात्र नही होगा।
9. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान तथा रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शाकर 03 प्रति में स्वंप्रमाणित कर प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान के आगे पिछे व दांये बांये स्थित भवनों/स्थानों/भुमि/सडक का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना हैं। प्रस्तावित दुकान किराये की होने पर अनुबन्ध की प्रति/स्वयं की होने पर पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावें। दुकान केन्द्रीय स्थल पर स्थित हो, ताकि उपभोक्ता आसानी से पहुच सके। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिए। आवेदक को प्रस्तावित दुकान के सम्बन्ध में अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे जिस हेतु प्रस्तावित दुकान 30 फिट सडक पर स्थित होकर न्युनतम 200 वर्गफिट की होना तथा दुकान का द्वार/शटर न्युनतम 10 फिट गुण 10 फिट का होना चाहिए।
10. सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा आवेदक के सम्बन्ध में जारी न्युनतम 1,00,000/– रूपये का मूल हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। (हैसियत का प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नही होगा) साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25000/– रूपये होना आवश्यक होगी।
11. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरूद्ध गंभीर अनियमितताएँ पाये जाने पर गत 10 वर्शों में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो, तो ऐसे आवेदकों को उचित मूल्य दुकान आंवटित नही की जावेगी।
12. चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :–

<u>**प्रथम वरियता**</u> (1) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहतर क्षेत्रीय बहुद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, (2) "महिला स्वंय सहायता समूह, जो, राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है तथा न्युनतम 3 वर्ष का कार्य का अनुभव हो (3) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

- यदि आवेदक सहकारी समितियां है जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो, आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी हागी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक को मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गम्भीर अनियमितता नही होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंश पूंजी विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्शिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्शं व चालू वर्श के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उप पंजीयक की अभिशंशा संलग्न करनी होगी।
- यदि आवेदक महिला स्वंय सहायता समूह है तो, आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम से आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडित रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नही होने का प्रमाण पत्र तथा समूह का वित्तीय हैसियत के सम्बन्ध में उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्श व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय उप निदेशक/सहायक निदेशक की अभिशंषा संलग्न करनी होगी।

<u>**द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत**</u> (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नही होने पर) (अ)बेरोजगार (1)निःशक्त जन (2) महिलायें (i) शहीद की विधवा, (विरांगना) (ii) विधवा (iii) परित्यक्ता (ब) भूतपूर्व सैनिक, (स) अन्य पात्र बेरोजगार

- आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबन्धक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणित योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- निःशक्त जन को स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, विरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा व परित्यक्ता को सम्बन्धित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र तथा बेराजगार को एम्पलोयमेंट एक्सचेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
- आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा किसी पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा, जिसमें जिला कलक्टर का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
- किसी उचित मूल्य दुकान के लिए एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अर्हताऐं पूर्ण करता है, तो उसका चयन किया जावेगा।

13. द्वितीय वरीयता के अन्तर्गत चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम सीमा 60 वर्ष की आयु तक होगी।
14. सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने है।
15. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय (Functional Toilet) है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।